**महिंदर सिंह सुल्लर से पहले जे.**

**एन. राम, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक**

**'द हिंदू' और अन्य-याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हरियाणा प्रांत**

**और दूसरा-प्रतिवादी**

**2005 का सीआरएमएम नंबर एम-13315**

**7 मई 2012**

भारत का संविधान, 1950 - कला, 19(1)(ए) - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 19 73 - एसएस 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - एसएस, 499, 500, 501 - "धर्मनिरपेक्षता पर राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ए आईसीसी, नई दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानी सेल, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सह-अभियुक्त और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुन सिंह के साथ सम्मेलन को संबोधित किया - याचिकाकर्ता समाचार पत्र "द हिंदू" सहित विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा प्रश्न में उनका भाषण प्रकाशित किया गया। "- शिकायतकर्ता ने शेष नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जिन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे, और अन्य अखबारों ने, जिन्होंने अपने संबंधित अखबारों में वही खबर प्रकाशित की थी, लेकिन 'द हिंदूफ अखबार' द्वारा विवादित खबर प्रकाशित करने से दुखी होकर, उन्होंने एक आपराधिक मामला दर्ज किया। श्री अर्जुन सिंह के खिलाफ शिकायत और तलब याचिकाकर्ता - शिकायत और तलब आदेश को रद्द करने के लिए याचिका प्रस्तुत करें - दलील है कि 'द

हिंदू1 ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अग्रेषित सामग्री के आधार पर समाचार प्रकाशित किया है और जनता को सही जानकारी प्रदान करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए

सच्ची खबर प्रकाशित की है और इस संबंध में उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है - आगे तर्क दिया गया याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (एल) (ए) के तहत संरक्षित किया गया है - यह माना जाता है कि यदि सटीक प्रकाशन किया गया है तो कोई अपराध नहीं बनता है और यदि आरोप लगाने से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम नहीं होती है तो कोई सजा नहीं होगी।

माना जाता है कि स्पष्टीकरण 4 में आगे कहा गया है कि "किसी भी लांछन से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचता है, जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के अनुमान में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, या उस व्यक्ति के चरित्र को कम नहीं करता है।" उसकी जाति या उसके बुलावे के संबंध में, या उस व्यक्ति के श्रेय को कम करता है, या यह विश्वास कराता है कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित अवस्था में है, या ऐसी अवस्था में है जिसे आम तौर पर अपमानजनक माना जाता है।" इस प्रकार, स्पष्टीकरण 4 से धारा 499,1पीसी धारा में निहित परिभाषा के सामान्य विवरण पर अंकुश लगाता है। यह केवल ऐसे लांछनों को दंडनीय बनाता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के संबंध में उसकी प्रतिष्ठा को कम कर सकते हैं और किसी लांछन को केवल मानहानिकारक बनाता है यदि यह कम करता है एक व्यक्ति दूसरों के आकलन में है। इसका तात्पर्य प्रतिष्ठा में गिरावट से है। प्रतिष्ठा का उपयोग उस आकलन को दर्शाने के लिए किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरों द्वारा महत्व दिया जाता है, जिस समुदाय या समाज से वह संबंधित है, उसमें उसके चरित्र को महत्व दिया जाता है।

(पैरा 29)

इसके अलावा, माना जाता है कि, किसी भी कोण से देखा जाए, तो कानूनी प्रावधान, सामग्री, अन्य विशिष्ट तथ्यों की समग्रता और मामले की विशेष परिस्थितियां, रिकॉर्ड से बाहर आ रही हैं, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है, एक साथ रखा गया है और सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है, तब, मेरे विचार से, यह निष्कर्ष अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य है कि भारत के

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षा उपलब्ध है और चूँकि धारा-अभियुक्तों द्वारा सटीक प्रकाशन स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण 4 के डोमेन/दायरे में आता है। और धारा 499आईपीसी के अपवादों की ओर इशारा किया, इसलिए, मेरे लिए, कोई भी अपराध नहीं बनता है और शिकायतकर्ता-आरएसएस ने केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से और प्रतिशोध लेने के लिए उनके खिलाफ शिकायत (अनुबंध पी1) दर्ज की है। याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को संभवतः लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे का सामना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(पैरा 38)

आर.एस.चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. याचिकाकर्ताओं के वकील एस. मेहंदी रत्ता।

प्रतिवादियों की ओर से सत्यपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री धेकराज जैन, अधिवक्ता।

महिंदर सिंह सुल्लर, जे.

(1) संक्षेप में, तथ्य और सामग्री, जिसका मूल विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, तत्काल याचिका में शामिल है और रिकॉर्ड से निकल रहा है कि, 08.08.2004 को, "धर्मनिरपेक्षता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में A11 इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्वतंत्रता सेनानी सेल द्वारा आयोजित। वैसे तो सम्मेलन को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संबोधित किया, लेकिन तत्कालीन कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री अर्जुन सिंह स्टार वक्ता थे। उन्होंने प्रश्नगत भाषण दिया, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। 'द हिंदू' समाचार पत्र ने 09.08.2004 को समाचार (अनुलग्नक पी-7) भी प्रकाशित किया, जो संक्षेप में इस प्रकार है: -

"मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से प्रशासन से आरएसएस के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को हटाने के लिए कहा, जिस संगठन पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था।

हमारा पहला कर्तव्य है कि आरएसएस की फासीवादी ताकतों को खदेड़ा जाये. आज, सरकारी प्रशासन आरएसएस के कब्जे में है, हमें इसे साफ करना होगा," उन्होंने यहां धर्मनिरपेक्षता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा।

अनुभवी कांग्रेस नेता, जिन्होंने स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों का मसौदा तैयार करने वाले पैनल से भाजपा और आरएसएस के करीबी शिक्षाविदों को हटा दिया था, ने कहा कि आरएसएस की प्रशासन पर मजबूत पकड़ थी क्योंकि "संघ परिवार के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों को (पिछली सरकार द्वारा) प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया था।" पद.

यदि किसी संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि (महात्मा) गांधी की हत्या थी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह किस राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है," उन्होंने सरकार में आरएसएस के लोगों को बेनकाब करने का आह्वान किया।

आरएसएस के एक नहीं सैकड़ों अलग-अलग मोर्चे हैं. उन्हें देश के भीतर और बाहर से करोड़ों रुपये मिल रहे हैं. पिछली सरकार ने विदेशी धन आने दिया लेकिन अब इस जाल को तोड़ना होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया गया. “ए4आर. सिंह ने कहा. मंत्री ने उम्मीद जताई कि "प्रधानमंत्री इस संबंध में निश्चित कार्रवाई करेंगे।" ”

(2) क्रमानुसार इसे इस प्रकार भी प्रकाशित किया गया:-

'मंत्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है'

सीपीआई महासचिव ए.बी.बर्धन ने कहा कि श्री सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री एसजयपाल रेड्डी को अपने मंत्रालयों में बड़ी संख्या में "आरएसएस-पुरुषों" की मौजूदगी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

“समितियां आरएसएस के लोगों से भरी हुई हैं। राज हमारा. राज्यपाल तुम्हारा (यह हमारी सरकार है लेकिन राज्यपाल आरएसएस-भाजपा के हैं)। ऐसा कब तक चलेगा," श्री बर्धन ने पूछा।

सीपी] नेता ने भाजपा पर नफरत की राजनीति का प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने हिंदुत्व शब्द को राष्ट्रवाद में बदल दिया है। “यह मत भूलो कि हिटलर ने राष्ट्रवाद की आड़ में दुनिया भर में तबाही मचाई थी

सांसद और राजस्थान के सचिन पायलट ने आरएसएस के कामकाज का गहन अध्ययन करने और इसके झूठे प्रचार और नफरत की राजनीति का मुकाबला करने और स्कूलों में धर्मनिरपेक्षता सिखाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।

मतपत्र क्रांति'

सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव मतपत्र के माध्यम से एक क्रांति थी जिसने फासीवादी ताकतों को हराया। "अगर हम इस गति को कायम रख सकें तो यह एक क्रांति होगी और इसे सही मायनों में स्वतंत्रता के बाद का पुनर्जागरण कहा जा सकता है।" उन्होंने कहा कि भारत एक धर्म या जाति का देश नहीं हो सकता क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से ही विविधता अंतर्निहित कारक रही है। देश।

उन्होंने आरएसएस को दुनिया में किसी एक जातीय समरूप समाज के अस्तित्व को साबित करने की चुनौती देते हुए कहा कि भारत की विविधता की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है। भाजपा को 'भ्रम' और आरएसएस को 'वास्तविकता' बताते हुए उन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी के कठिन प्रयास थे जो देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए सभी जातीय समूहों को एक साथ लाए।

इससे पहले, सीपीआई (एम) के नीलोत्पल बसु ने कहा कि चुनाव में जीत के साथ धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। “आपको सांप्रदायिकता से लड़ना जारी रखना होगा, न केवल चुनावों के माध्यम से बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में। ”

(3) इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मंत्री श्री अर्जुन सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाने की खबर (अनुलग्नक पी-8) और उनके प्रत्युत्तर (अनुलग्नक पी-9) को भी 'द हिंदू' ने इसी रूप में प्रकाशित किया था। वही पहली खबर (अनुलग्नक पी-7) द हिंदुस्तान

टाइम्स (अनुलग्नक पी-10), द पायनियर (अनुलग्नक पी-11), द एशियन एज (अनुलग्नक पी-12) और नवभारतटाइम्स (अनुलग्नक पी-12) द्वारा भी प्रकाशित की गई थी। 14) अपने-अपने समाचार पत्रों में। आरएसएस द्वारा मंत्री के आचरण की निंदा की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने भी (अनुलग्नक पी13) प्रकाशित की थी।

(4) शिकायतकर्ता-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दर्शन लाल जैन, इसके प्रांत संघ चालक, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (संक्षिप्तता के लिए "शिकायतकर्ता- आरएसएस"), ने शेष नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जिन्होंने भी आरोप लगाए हैं समान आरोप, पदाधिकारी और अन्य समाचार पत्र, जिन्होंने अपने संबंधित समाचार पत्रों में वही समाचार प्रकाशित किया है, लेकिन 'द हिंदू' समाचार पत्र द्वारा विवादित समाचार (अनुलग्नक पी -7) के प्रकाशन से व्यथित होकर, उन्होंने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की (अनुलग्नक) पी-1) श्री ऐजुन सिंह, पूर्व मंत्री (मृत्यु के बाद से), एन.राम, प्रधान संपादक, प्रकाशक, पी. बालाचंद्रन प्रिंटर और उनके वित्त मेसर्स कस्तूरी एंड संस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के माध्यम से, के खिलाफ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगाधरी (हरियाणा) की अदालत में धारा 499, 500 और 501 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन के लिए, 'द हिंदू' समाचार पत्र, सबसे अच्छे ज्ञात कारणों से।

(5) शिकायतकर्ता ने दावा किया कि, हालांकि सभी आरोपी इस तथ्य से अवगत थे कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने पाया कि किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था।

जो भी हो कि शिकायतकर्ता-आरएसएस, एक संगठन के रूप में या अन्यथा, महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था, लेकिन श्री अर्जुन सिंह द्वारा दिए गए बयान, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों द्वारा मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किए गए, ने न केवल उन्हें भारी मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न दिया है। आरएसएस, बल्कि इसके सदस्यों, अनुयायियों और सहानुभूति रखने वालों के लिए भी।

(6) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाना, घटनाओं का क्रम बताना और आरएसएस की खूबियों को सूचीबद्ध करना, शिकायतकर्ता-आरएसएस के अनुसार, श्री अर्जुन सिंह (आरोपी) द्वारा

जानबूझकर दिया गया बयान प्रकाशित, मुद्रित और प्रकाशित किया गया है। याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों द्वारा केवल इसकी (आरएसएस) सद्भावना और प्रतिष्ठा और इसके सदस्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रसारित किया गया, यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि यह गलत है। इस प्रकार सभी आरोपियों द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित किया गया है। इन आरोपों की पृष्ठभूमि में, शिकायतकर्ता ने मुख्य आरोपी श्री अर्जुन सिंह (मृतक के बाद से) और याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ, ऊपर बताए गए तरीके से, उल्लिखित अपराधों के लिए आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी -1) दायर की।

(7) शिकायत का संज्ञान लेते हुए और प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को, धारा 499 से 501 1पीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए, आक्षेपित सम्मन आदेश दिनांक 24.12.2004 के माध्यम से बुलाया। (अनुलग्नक पी-2)।

(8) याचिकाकर्ता-अभियुक्त अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होने से संतुष्ट नहीं थे और प्रावधानों को लागू करते हुए, विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-2) को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी। की धारा 482 सीआर.पी.सी.

(9) याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामला, संक्षेप में, जहां तक प्रासंगिक है, यह था कि, 'द हिंदू' ने प्रेस द्वारा आपूर्ति/अनुशंसित सामग्री के आधार पर 09.08.2004 को समाचार आइटम आरसीपोर्ट (अनुलग्नक पी-7) प्रकाशित किया था। ट्रस्ट ऑफ इंडिया (संक्षेप में "पीटी1"), उच्च स्तर की विश्वसनीयता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी। यहां तक कि शिकायतकर्ता-आरएसएस (अनुलग्नक पी-8) और मंत्री के प्रत्युत्तर (अनुलग्नक पी-9) द्वारा श्री अर्जुन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की खबरें भी 'द हिंदू' समाचार पत्र द्वारा निष्पक्ष रूप से प्रकाशित की गईं। यह दावा किया गया कि 'द हिंदू' ने जनता को सही जानकारी प्रदान करने

के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सच्ची खबर प्रकाशित की है और इस संबंध में उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

(10) इस प्रकार, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-2) को चुनौती दी है: -

"(i) कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत स्पष्ट रूप से किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से प्रेरित है। तथ्य यह है कि विचाराधीन समाचार रिपोर्ट पीटीआई-एक समाचार एजेंसी, जिसे सभी व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों द्वारा लगभग समान रूप से सदस्यता प्राप्त है- के प्रेषण पर आधारित थी, यह दर्शाता है कि द हिंदू का शिकायतकर्ता हो को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। मैं या उससे जुड़े व्यक्ति। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के नेता और अन्य ज्ञात सार्वजनिक और राजनीतिक हस्तियों ने धर्मनिरपेक्षता पर सम्मेलन को संबोधित किया था। उक्त सम्मेलन की कार्यवाही की निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्ट देना किसी भी व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले समाचार पत्र का परम कर्तव्य था। यह भी सुझाव नहीं दिया गया है कि समाचार रिपोर्ट अनुलग्नक पी-7 किसी भी तरह से श्री के भाषण का असंतुलित या विकृत या रंगीन संस्करण है। अर्जुन सिंह या अन्य वक्ताओं ने जो भाषण दिये. यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि विचाराधीन घटना को राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से कवर किया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्रों के लिए दिल्ली से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी दैनिक समाचार पत्रों में इसकी रिपोर्ट होगी। याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट की प्रतियों को रिकॉर्ड में

रखा है। अनुलग्नक पी- चीज़ों को उचित तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 10 से पी-14 तक। शिकायतकर्ता ने शिकायत में या प्रारंभिक साक्ष्य में कुछ भी उल्लेख करने की परवाह नहीं की है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए द हिंदू को क्यों चुना गया था। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को शिकायत में वास्तविक तरीके से दोषी नहीं ठहराया गया है; बल्कि एक दैनिक को एकल करने की कवायद की गई है।

(11) याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है, जो लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालती है और धारा 499आईपीसी के अपवाद I द्वारा पूरी तरह से कवर की गई है।

(हाय) यदि किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक, राजनीतिक या सामाजिक घटना की निष्पक्ष, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण रिपोर्ट को मानहानि के मुकदमे की धमकी के तहत ब्लैक आउट करने की मांग की जाती है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा

यह न केवल प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500/501 में निहित मानहानि के कानून को भारत के संविधान के अनुच्छेद I9 (एल) (ए) के साथ सीधे टकराव में डाल देगा।

(1) द हिंदू एनेक्सचर पी-7 और अन्य अखबारों एनेक्सचर पी-10, पी-11, पी-12 और पी-14 द्वारा प्रकाशित समाचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलेगा कि रिपोर्ट एनेक्सचर पी-7 निष्पक्ष थी। , संतुलित और उद्देश्यपूर्ण। वास्तव में अन्य समाचार पत्रों ने 9.8.2004 को आरएसएस के बारे में समान रूप से आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। यह नोट करना और भी महत्वपूर्ण है कि अन्य समाचार पत्रों की कुछ रिपोर्टें संबंधित समाचार पत्रों के विशेष संवाददाताओं द्वारा कवर की गईं; जबकि द हिंदू में 9.8.2004 की रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-7) पीटीआई के प्रेषण पर आधारित थी, जैसा कि यहां पहले प्रस्तुत किया गया था।

(2)) शिकायत की संस्था के लिए जगधरी का चयन यह भी बताता है कि शिकायतकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य याचिकाकर्ताओं और शिकायत में उनके प्रतिवादी को अधिकतम उत्पीड़न पहुंचाना है। इस मामले में अखबार दिल्ली से प्रकाशित हुआ था. वह सम्मेलन या सेमिनार जहाँ श्री. अर्जुन सिंह ने अपना भाषण भी दिल्ली में दिया था. आरएसएस के कुछ प्रमुख पदाधिकारी दिल्ली के निवासी हैं और वहीं से काम करते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए जगाधरी को चुनने का कोई अच्छा कारण नहीं है। अनुलग्नक पी-एल। निःसंदेह ऐसे कारण से उत्तरदाताओं को अनुचित कठिनाई, असुविधा और कठिनाई होगी। यह परिस्थिति शिकायत दर्ज करने के पीछे के अप्रत्यक्ष उद्देश्य को भी रेखांकित करती है। "

(11) उपरोक्त आधारों के आधार पर, याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने यहां ऊपर वर्णित तरीके से विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-1) को रद्द करने और आदेश (अनुलग्नक पी-2) को तलब करने की मांग की।

(12) हालांकि, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी-आरएसएस ने याचिका में निहित विशिष्ट आरोपों का खंडन करने के लिए कोई जवाब दाखिल नहीं किया, हालांकि, उन्होंने याचिकाकर्ताओं की शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है, आदेश तलब किया है, मौखिक रूप से आरोपों को दोहराया है शिकायत में शामिल किया गया और मुख्य याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई। इस प्रकार, मैं इस मामले को समझ गया हूँ।

(13) अपनी सामान्य क्षमता का लाभ उठाते हुए और आक्षेपित शिकायत और सम्मन आदेश पर हमला करते हुए, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कुछ हद तक दृढ़ता के साथ तर्क दिया है कि 'द हिंदू' उच्च स्तर का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। राष्ट्रीय विश्वसनीयता. अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित जनादेश के मद्देनजर, तत्कालीन मानव संसाधन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री ऐजुन सिंह द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में, पढ़ने वाले लोगों को सूचित करना उसका कर्तव्य था। भारत का संविधान, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता-

अभियुक्तों ने रिपोर्ट पर प्रश्न में संकेतित सटीक भाषण (अनुलग्नक पी-7) प्रकाशित किया है ।

(14) आक्षेपित शिकायत और सम्मन आदेश की सराहना करते हुए, इसके विपरीत, शिकायतकर्ता-आरएसएस के विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया है, साथ ही, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों द्वारा समाचार आइटम (अनुलग्नक पी-7) का प्रकाशन न केवल इससे न केवल शिकायतकर्ता को, बल्कि आरएसएस के सदस्यों, अनुयायियों और समर्थकों को भी भारी मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलना पड़ा। चूंकि, यह बयान याचिकाकर्ता-अभियुक्तों द्वारा जानबूझकर, केवल आरएसएस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया था, इसलिए, ट्रायल मजिस्ट्रेट ने उन्हें आईपीसी की धारा 499,500 और 501 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए बुलाया है और कोई अवैधता नहीं है। विस्तृत आक्षेपित सम्मन आदेश सौंपा जा सकता है। तर्क आगे बढ़ता है कि चूंकि विवादित प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, विवादित शिकायत को रद्द करने और सम्मन आदेश देने का कोई आधार नहीं बनता है। इस प्रकार, उन्होंने मुख्य याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

(15) पक्षों के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद और पूरे मामले पर विचार व्यक्त करने के बाद, मेरे विचार से, तत्काल याचिका इस संदर्भ में स्वीकार करने योग्य है।

(16) श्रीमती के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्तावों की जड़ के संबंध में शायद ही कोई विवाद हो सकता है। चंद धवन बनाम जवाहर लाल और अन्य (आई), एलएलपी राज्य बनाम पिरथी चंद और अन्य (2), जेफरी जे.डिरमेयर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (3), शिकायतकर्ता-आरएसएस की ओर से भरोसा किया गया कि फिर भी , किसी भी अनम्य दिशानिर्देश/कठोर फॉर्मूला/नियम को निर्धारित करना न तो संभव है, न ही वांछनीय है, जो न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित

करेगा। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। निस्संदेह, उक्त प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन असीमित नहीं है। इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना होगा। उच्च न्यायालय किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब शिकायत में लगाए गए आरोप अपराध नहीं बनते हैं, या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। न्याय का अंत.

(17) साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (4), अशोक चतुर्वेदी बनाम शितुल आईएल चंचानी (5), केंद्रीय ब्यूरो के मामलों में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है। जांच बनाम रविशंकर श्रीवास्तव (6) और धारीवाल टोहाको प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (7), कि जब भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आपराधिक मुकदमा जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए, वह अन्य कारकों की परवाह किए बिना अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा।

(1) जेटी 1992 (3)एससी61एस

(2) (1996) 2 एससीसी 37

(3) (2010) 6 एससीसी 243

(4) (1998) 5 एससीसी 749

(5) (1998)7 एससीसी 698

(6) (2006) 7 एससीसी 188

(7) (2009) 2 एससीसी 3 70

(18) इस प्रकार, कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड पर सामग्री होने के कारण, अब संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण हैं, जो तत्काल याचिका में निर्धारण के लिए उठते हैं, जैसे कि क्या याचिकाकर्ता-आरोपी, जो संपादक, मुद्रक और थे 'द हिंदू' अखबार के प्रकाशक ने सटीक बयान (अनुलग्नक पी7) प्रकाशित करके, कोई संकेतित अपराध किया है और शिकायत (अनुलग्नक पी-1) के अनुसरण में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं?

(19) पार्टियों के विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों और संबंधित रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, इस संबंध में उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए।

(20) प्रथम दृष्टया, शिकायतकर्ता-आरएसएस के विद्वान वकील का प्रसिद्ध तर्क है कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और याचिकाकर्ता-अभियुक्त का मामला इसमें नहीं आता है। आईपीसी की धारा 499 का कोई भी अपवाद, इसलिए, उन्होंने विचाराधीन अपराध किया है, न तो मान्य है, न ही एम.ए.हुमुगम बनाम किट्टू उर्फ कृष्णमूर्ति (8), केएम के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। इस न्यायालय के मैथ्यू बनाम के.ए.अब्राहम और अन्य (9), विवेक गोयनका बनाम कोलराम सिंह (पी एंड एच) (10) और डब्ल्यूआर सांघवी बनाम हरियाणा राज्य (11) के मामले, वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल लागू होते हैं।

(21) जैसा कि एम.ए.रुमुगम के मामले (सुप्रा) में बिल्कुल स्पष्ट है, अपीलकर्ता ने (उसमें) पुलिस उप-निरीक्षक के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि: "30-4-2003 को, पंचायत संघ समिति के सदस्य और पंचायत बोर्ड राष्ट्रपति ने उनसे संपर्क किया और उनके नारियल के बाग के दक्षिण की ओर जमीन चाही ताकि बाग के बीच से सड़क बनाई जा सके। उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी. इन परिस्थितियों में जब उन्होंने 3-6-2003 को उपवन का दौरा किया तो दक्षिण की ओर लगभग 9 नारियल पैदा करने वाले पेड़ गिरे हुए पाए गए। जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि नाई उवेदापथी गांव के राजगोपाल के पुत्र नमसिवायम और रामू के पुत्र कालियाप्पन कुछ समय पहले मेरे नारियल के बगीचे के

दक्षिण की ओर अपने हाथों में डिब्बे लेकर खड़े थे। उन्होंने उनसे मुलाकात की और बताया कि वे कोमल नारियल के पेड़ों के खिसकने के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि उन्हें गाँव के कुछ लोगों ने पेड़ों के पास देखा था। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने किट्टू उर्फ के कहने पर

(8) (2009) 1 एससीसी 101

(9) एआईआर 2002 एससी 2989

(10) 2006(2) आरसीआर(सीआरएल.) 700

(11) 2006(एल)आरसीआर(सीआरएल.)115

नालुवेदपति गांव के वेदैया गौंडर के बेटे कृष्णमूर्ति ने अपने साथ नारियल के पेड़ों में एसिड मिश्रित मिट्टी का तेल डाला और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने नारियल के पेड़ों के बीच सड़क बनाने की सहमति नहीं दी थी।" उक्त शिकायत में, अपीलकर्ता ने पुलिस उप-निरीक्षक से उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया और अपने और अपनी संपत्ति के लिए सुरक्षा की मांग की। शिकायत के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने छह महीने के भीतर न तो कोई आरोप पत्र दायर किया, न ही आगे की जांच करने के लिए समय विस्तार की मांग की। मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच रोकने का आदेश दिया और परिणामस्वरूप मामले को बंद कर दिया। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रतिवादी ने दृढ़ता से खंडन किया। इसके बाद, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ मानहानि का अपराध करने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।

(22) इसी तरह, वीर सांघवी के मामले में, हरियाणा विकास पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी के पूर्व महासचिव पर एच वीपी से रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। 10 करोड़, बाद में, जो श्री शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गए थे। शिकायतकर्ता वेद पाल ने भी आरोपों से इनकार किया। इसलिए, विशिष्ट तथ्यों और उस मामले की विशेष परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि साक्ष्य द्वारा यह साबित करना

आवश्यक है कि क्या अभियुक्त द्वारा लगाया गया आरोप सद्भावना में था या उसकी या दूसरों की सुरक्षा के लिए था 'ब्याज, जिसका निर्णय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका में नहीं किया जा सकता है।

(23) क्रम में, के.एम.मैथ्यू (सुप्रीम कोर्ट) और विवेक गोयनका के मामलों (सुप्रा) (पी एंड एच हाई कोर्ट) में, अदालतों के सामने सवाल यह था कि क्या किसी अखबार के प्रबंध संपादक, स्थानीय संपादक या मुख्य संपादक को अभियोजन से छूट प्राप्त है? द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867 की धारा 7 के मद्देनजर अखबार में अपमानजनक मामला प्रकाशित हुआ या नहीं? उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 7 में निहित धारणा खंडन योग्य है और इसका मतलब यह नहीं है कि प्रबंध संपादक, स्थानीय संपादक या मुख्य संपादक के खिलाफ कोई वैधानिक छूट है। अखबार में किसी भी मामले के कथित प्रकाशन के लिए कोई अभियोजन, जिस पर ये व्यक्ति नियंत्रण रखते हैं, हालांकि, उनके खिलाफ एक समान धारणा नहीं बनाई जा सकती है। यह भी देखा गया कि फिर भी, शिकायतकर्ता अभी भी आरोप लगा सकता है और साबित कर सकता है कि उन्हें जानकारी थी और वे अपमानजनक समाचार के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे। यहां तक कि, के तहत अनुमान

धारा 7 एक खण्डनयोग्य अनुमान है और इसे अन्यथा सिद्ध किया जा सकता है। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि अखबार में प्रकाशन के लिए मामले के चयन के लिए संपादक के अलावा किसी और को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(24) संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे लिए, यहां नीचे उल्लिखित कारणों से, वर्तमान विवाद में यह शिकायतकर्ता-आरएसएस के बचाव में नहीं आएगा।

(25) सबसे पहले, यहां जिस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता वह यह है कि हमारे संविधान के सबसे प्रिय मूल्यों में से एक अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक नागरिक को दी

गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महान महत्व को दर्शाते हुए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (सांबे) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (12) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार फैसला सुनाया है: -

“आज की स्वतंत्र दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का केंद्र है। प्रेस ने अब सार्वजनिक शिक्षक की भूमिका निभानी शुरू कर दी है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को बड़े पैमाने पर संभव बनाया जा सके, जहां टेलीविजन और अन्य प्रकार के आधुनिक संचार अभी भी समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। प्रेस का उद्देश्य तथ्यों और विचारों को प्रकाशित करके सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना है, जिसके बिना एक लोकतांत्रिक मतदाता जिम्मेदार निर्णय नहीं ले सकता है। सार्वजनिक प्रशासन पर प्रभाव डालने वाली खबरों और विचारों के वाहक होने के कारण समाचार पत्र अक्सर ऐसी सामग्री प्रकाशित करते हैं जो सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के लिए रुचिकर नहीं होती। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों के लेखकों को सरकार की कमजोरियों को उजागर करने के लिए उसके कार्यों की आलोचना करनी होगी। ऐसे लेख सत्ता के लिए चिड़चिड़ाहट या खतरा भी बन जाते हैं। सरकारें स्वाभाविक रूप से ऐसे लेख प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को विभिन्न तरीकों से दबाने का सहारा लेती हैं। वर्षों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सरकारों ने प्रेस को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है, xxx xxx xxx

सूचना के मुक्त प्रवाह में बाधा डालने वाले ऐसे कदाचारों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, दुनिया भर के लोकतांत्रिक संविधानों ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले प्रावधान बनाए हैं, जिसमें हस्तक्षेप की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसलिए, यह सभी राष्ट्रीय न्यायालयों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे उक्त स्वतंत्रता को बरकरार रखें और संवैधानिक

आदेश के विपरीत इसमें हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों या प्रशासनिक कार्यों को अमान्य कर दें।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चार व्यापक सामाजिक उद्देश्य हैं: (i) यह व्यक्ति को आत्म-संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है, (ii) यह सत्य की खोज में सहायता करता है, (Hi) यह निर्णय लेने में भाग लेने में व्यक्ति की क्षमता को मजबूत करता है और (iv) यह एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के बीच उचित संतुलन स्थापित करना संभव होगा। समाज के सभी सदस्यों को अपनी मान्यताएँ बनाने और उन्हें दूसरों तक स्वतंत्र रूप से संप्रेषित करने में सक्षम होना चाहिए। संक्षेप में, यहां शामिल मूल सिद्धांत लोगों का जानने का अधिकार है। इसलिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन सभी लोगों से उदार समर्थन मिलना चाहिए जो प्रशासन में लोगों की भागीदारी में विश्वास करते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज की इस विशेष रुचि के कारण ही समाचार पत्र उद्योग से संबंधित मामलों पर कर लगाते समय सरकार का रुख अन्य मामलों पर कर लगाने की तुलना में अधिक सतर्क होना चाहिए। "

(26) फिर से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और अन्य (13) के मामले में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उसी सिद्धांत को दोहराया और देखा है कि “भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी प्राप्त करना और उसका प्रसार करना भी शामिल है। आत्म अभिव्यक्ति के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, जो स्वतंत्र विवेक और आत्म संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह लोगों को सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर बहस में योगदान करने में सक्षम बनाता है। यह किसी भी चीज़ का सबसे सच्चा मॉडल खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि केवल इसके माध्यम से ही विचारों की व्यापक संभव श्रृंखला प्रसारित हो सकती है। यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक राजनीतिक विमर्श का एकमात्र माध्यम है। उतना ही महत्वपूर्ण है

यह सभी प्रकार के कलात्मक और विद्वतापूर्ण प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाता है। इसलिए, संचार के अधिकार में किसी भी उपलब्ध मीडिया के माध्यम से संचार करने का अधिकार शामिल है, चाहे वह प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक या ऑडियो-विजुअल जैसे विज्ञापन, फिल्म, लेख, भाषण आदि। यही कारण है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता में प्रसार का अधिकार और ऐसे प्रसार की मात्रा निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है। इस स्वतंत्रता में देश के साथ-साथ विदेशों में भी जितनी बड़ी आबादी तक पहुंचना संभव हो, बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय संप्रेषित करने या प्रसारित करने की स्वतंत्रता शामिल है। मौलिक अधिकार को केवल कला में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंधों द्वारा सीमित किया जा सकता है। संविधान के 19(2)।" इसी क्रम में, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन, इस प्रासंगिक दिशा में अन्य कदम हैं।

(27) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि टाई शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत (अनुलग्नक पी-1) दायर की है, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर कि उन्होंने बयान संलग्नक पी-7 को मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया है) उनके सह-अभियुक्त और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री अर्जुन सिंह (मृत्यु के बाद से) द्वारा जानबूझकर, आरएसएस और उसके अनुयायियों की सद्भावना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया, यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि यह झूठ है। इस प्रकार, उन्हें आईपीसी की धारा 499 से 501 के तहत दंडनीय अपराध करना बताया गया।

(28) जैसा कि स्पष्ट है, आईपीसी की धारा 499 में कहा गया है कि "जो कोई, बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, या जानने या रखने के इरादे से कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है यह विश्वास करने का कारण कि इस तरह के आरोप से ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, इसके बाद अपेक्षित मामलों को छोड़कर, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कहा

जाता है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से "जानना या विश्वास करने का कारण होना" शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस संबंध में महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं।

(29) इतना ही नहीं, स्पष्टीकरण 4 में आगे कहा गया है कि "किसी भी लांछन से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचता है, जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के अनुमान में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, या कम नहीं करता है।" उस व्यक्ति का उसकी जाति या उसके नाम के संबंध में चरित्र, या उस व्यक्ति के श्रेय को कम करता है, या यह विश्वास दिलाता है कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित स्थिति में है, या

ऐसे राज्य में जिसे आम तौर पर अपमानजनक माना जाता है।" इस प्रकार, स्पष्टीकरण 4 से सेक तक। 499, आईपीसी धारा में निहित परिभाषा के सामान्य विवरण पर अंकुश लगाता है। यह केवल ऐसे लांछनों को दंडनीय बनाता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के संबंध में उसकी प्रतिष्ठा को कम कर सकते हैं और किसी लांछन को केवल मानहानिकारक बनाता है यदि यह किसी व्यक्ति को दूसरों के आकलन में कम करता है। इसका तात्पर्य प्रतिष्ठा में गिरावट से है। प्रतिष्ठा का उपयोग उस अनुमान को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को दूसरों द्वारा महत्व दिया जाता है, जिस समुदाय या समाज से वह संबंधित है, उसमें उसके चरित्र को महत्व दिया जाता है।

(30) इसी तरह, इस खंड से 1 से 10 तक कुछ वैधानिक अपवाद जुड़े हुए हैं। पहला अपवाद यह है कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में जो भी सत्य है उसे आरोपित करना मानहानि नहीं है, मैं जनता की भलाई के लिए चाहता हूं कि वह आरोप लगाया या प्रकाशित किया जाए। जबकि, दसवें अपवाद में यह प्रावधान है कि, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अच्छे विश्वास में चेतावनी देना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो, जिसे यह बताई गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए है वह व्यक्ति रुचि रखता है, या जनता की भलाई के लिए है। आईपीसी की धारा 501 के अनुसार जो कोई भी

यह जानते हुए या यह विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसा मामला किसी व्यक्ति की मानहानिकारक है, किसी मामले को छापता या उकेरता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।

(31) 1) इन प्रावधानों के एक संयुक्त और सार्थक पढ़ने से पता चलेगा कि, आईपीसी की धारा 499 और 501 के दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करने के लिए, शिकायतकर्ता-आरएसएस की ओर से प्रथम दृष्टया साबित करना अनिवार्य/बाध्य था। आरोपियों ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से या ज्ञान के साथ या यह विश्वास करने के अच्छे कारण होने पर कि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, सटीक समाचार प्रकाशित किया है। मानहानि के अपराध का सार या तो नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया होगा, या यह जानने या विश्वास करने का कारण होगा कि इस तरह के आरोप से किसी व्यक्ति को नुकसान होगा।

(32) जैसा कि यहां ऊपर दर्शाया गया है, मौजूदा मामले में, शिकायतकर्ता-आरएसएस यह बताने में बुरी तरह विफल रहा है कि मुख्य आरोपी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता श्री के बयान का सटीक प्रकाशन कैसे, कब और किस तरीके से किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अर्जुन सिंह- आरोप जानबूझकर लगाया गया है या उन्हें यह जानकारी या विश्वास है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। यहां तक कि शिकायतकर्ता द्वारा इसका दावा भी नहीं किया गया है

शिकायत या प्रारंभिक साक्ष्य कि समाचार का प्रकाशन (अनुलग्नक पी7) किसी भी तरह से मंत्री के भाषण का विकृत या रंगीन संस्करण है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने पीटीआई की रिपोर्टों पर मंत्री के सटीक बयान को इस तरह प्रकाशित किया है। इसका मतलब है कि शिकायतकर्ता आरएसएस या उससे जुड़े व्यक्ति को बदनाम करने के लिए अपेक्षित इरादे/ज्ञान और अन्य सभी आवश्यक तत्वों का इस मामले में पूरी तरह से अभाव है। इसका मतलब यह है कि, आपराधिक मनःस्थिति के अभाव में याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी

निष्पक्ष, सटीक और सच्ची रिपोर्टिंग कोई अपराध नहीं बनेगी। यह मामला अब पुराना नहीं रह गया है और अब अच्छी तरह से सुलझ चुका है।

(33) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जवाहर लाल दर्डा और अन्य बनाम मनोहर राव गणपत राव कापसीकर और अन्य (14) के मामले में एक समान प्रश्न का निर्णय लिया गया, जिसमें धारा 499 से 502 आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, यह फैसला सुनाया गया कि अच्छे विश्वास में सटीक और सच्ची रिपोर्टिंग/प्रकाशन से यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का था और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 से 502 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

(34) इतना ही नहीं, अरुण पुरी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (15) के मामले में, समान अनुच्छेद पर विचार करते हुए, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस के सदस्य थे, ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। राष्ट्र, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

"इतिहास और इसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जो एक बार इस धरती पर आए और इस पर महान के रूप में खड़े थे, हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पहेली रहे हैं। इतिहास के नायक और खलनायक, उनके व्यक्तित्व, जुनून, कार्य, चूक, ऐसे कृत्यों और चूक के लिए मजबूरियां , जिसने उन्हें अलग खड़ा किया, हमेशा शिक्षाविदों, इतिहासकारों और सिद्धांतकारों के बीच बुद्धिमान अटकलों का विषय रहा है, जो उन्हें ग्रे और काले सहित विभिन्न रंगों में चित्रित करते हैं और उनके पात्रों को वास्तविक और काल्पनिक स्पर्श देते हैं।

नाथूराम गोडसे अलग नहीं थे और तदनुसार, वह गहन अध्ययन का विषय रहे हैं, जिसमें उनके अतीत को जानने की कोशिश की गई और कार्यों के उद्देश्यों को समझने की भी कोशिश की गई।

राष्ट्रपिता की हत्या. ऐतिहासिक और अभिलेखीय अभिलेखों पर आधारित ऐसी अटकलों के बीच, वह और उनका आर.एस.एस. से जुड़ाव। पर विभिन्न प्रकार से टिप्पणियाँ की गई हैं।

लेख पर वापस लौटते हुए, यह कहीं भी आर.एस.एस. की भूमिका का वर्णन नहीं करता है। और नाथूराम गोडसे के कृत्य का वर्णन करते समय इसमें किसी भी प्रकट, गुप्त या षडयंत्रकारी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्मन आदेश जारी करने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए ऐसे किसी भी आरोप और परिणामी साक्ष्य के अभाव में, इसे आरएसएस के लिए अपमानजनक और मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

इसके अलावा, एक लेख को उसकी संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए और एक अलग अंश को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है। इके कोर्ट को यह तय करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि लेख एक निष्पक्ष पाठक के दिमाग पर क्या प्रभाव डालेगा और आपत्तिजनक लेख, अगर इस संदर्भ में पढ़ा जाए, तो वह महात्मा गांधी के वर्तमान दिग्गजों को भी संदर्भित करता है, जिसमें संभवतः सभी और विविध शामिल हैं। आज का समाज और राजनीतिक वर्ग, जो सांप्रदायिक और गुटीय प्रवृत्तियों को लेकर चल रहा है - लेखक द्वारा मौजूदा स्थिति पर एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी। ऐसे लेख को शायद ही निंदनीय कहा जा सकता है जब तक कि एक पाखंडी समाज ऐसा नहीं करना चाहता। वास्तविकताओं पर नेल्सन की नज़र। "

तदनुसार, यह फैसला सुनाया गया कि उस संबंध में धारा 499 और 501 1 पीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

(35) इसका मतलब यह है कि अपराधों के सभी आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं हैं। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने अच्छे विश्वास में और केवल सूचित करने के लिए पीटी । द्वारा दी गई सामग्री और संदर्भ पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री अर्जुन सिंह के भाषण, अनुलग्नक पी -7 को अपने समाचार पत्र में सही ढंग से प्रकाशित किया है। सार्वजनिक। यदि शिकायतकर्ता-आरएसएस के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार कर लिया जाता है कि ऐसी सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग एक अपराध है, तो, किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं होगा और यह संवैधानिक जनादेश, स्पष्टीकरण 4 और धारा 499 1पीसी के अपवादों को रद्द करने जैसा होगा। जो, मेरे लिए, कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

(36)इस मामले का एक और पहलू है, जिसे पूरी तरह से एक अलग कोण से देखा जा सकता है। हालाँकि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने भाषण दिया, लेकिन अन्य नेताओं ए.बी. बर्धन और एस.जयपाल रेड्डी ने प्रासंगिक समय पर अपने भाषण दिए, जिन्हें द हिंदू समाचार पत्र द्वारा प्रकाशन (अनुलग्नक पी -7) के माध्यम से प्रकाशित भी किया गया था। फिर यह भी विवाद का विषय नहीं है कि यही खबर द हिंदुस्तान टाइम्स (अनुलग्नक पी-10), द पायनियर (अनुलग्नक पी-11), द एशियन एज (अनुलग्नक पी-12) और नवभारतटाइम्स (अनुलग्नक पी-) में भी प्रकाशित हुई थी। 14) अपने-अपने समाचार पत्रों में। अपनी नेकनीयती और स्वतंत्रता दिखाने के लिए, इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आरएसएस की योजना की खबर भी प्रकाशित की है (अनुलग्नक पी-8), उन्होंने प्रत्युत्तर (अनुलग्नक पी-8) भी प्रकाशित किया है। -9) मंत्री द्वारा अपने समाचार पत्र 'द हिंदू' में जारी किया गया। आरएसएस द्वारा मंत्री के आचरण की निंदा की खबर इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भी प्रकाशित की गई थी (अनुलग्नक पी13)।

(37) काफी अजीब बात है कि शिकायतकर्ता ने न तो अन्य वक्ताओं को शामिल किया, जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ इसी तरह का आरोप लगाया और न ही अन्य समाचार पत्रों के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक के खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिन्होंने अपने संबंधित समाचार पत्रों में भी यही बयान प्रकाशित किया है। यहाँ ऊपर बताया गया तरीका। इसके अलावा, केवल तथ्य, कि समाचार आइटम (अनुलग्नक पी 7) दिल्ली के "द हिंदू" अखबार द्वारा प्रकाशित किया गया था और शिकायतकर्ता-आरएसएस ने जगाधरी (हरियाणा) में वर्तमान शिकायत दर्ज की है, इस तथ्य का संकेत है और मामले की पुष्टि करता है याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने उन्हें परेशान करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज की है।

(38) 8) इस प्रकार, किसी भी कोण से देखा जाए, यदि कानूनी प्रावधानों, सामग्री, अन्य विशिष्ट तथ्यों की समग्रता और मामले की विशेष परिस्थितियों, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है, को एक साथ रखा जाए और सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाए, तब, मेरे विचार

से, यह निष्कर्ष अपरिहार्य और अनूठा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षा उपलब्ध है और चूंकि याचिकाकर्ताओं-आरोपी द्वारा सटीक प्रकाशन स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण 4 के डोमेन/दायरे में आता है। और धारा 499आईपीसी के अपवादों की ओर इशारा किया, इसलिए, मेरे लिए, कोई भी अपराध नहीं बनता है और शिकायतकर्ता-आरएसएस ने उनके खिलाफ केवल गलत इरादे से, परेशान करने वाले और प्रतिशोध लेने के लिए शिकायत (अनुलग्नक पी1) दर्ज की है। याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को संभवतः कष्ट सहने की अनुमति नहीं दी जा सकती

मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में हॉफ़बलएपेक्स कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, एक लंबा आपराधिक मुकदमा। उस स्थिति में, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ इस तरह का झूठा आपराधिक मुकदमा अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट और गहरा दुरुपयोग/दुरुपयोग है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक प्रसिद्ध फैसले में निर्धारित कानून के मद्देनजर इसे रद्द किया जाना चाहिए। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम दुभजन लाल और अन्य (16), जिसे सोन मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार (17) के मामले में फिर से दोहराया गया था। इसके अलावा, यदि इस तरह के झूठे अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को जगाधरी (हरियाणा) में लंबे समय तक आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया गया, तो यह उनके मामले में अन्याय को बढ़ावा देगा और बनाए रखेगा, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

(39) इसलिए, याचिकाकर्ता-अभियुक्त के लिए विद्वान वकील की संकेतित दलीलें काफी बल रखती हैं और शिकायतकर्ता-आरएसएस के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क महत्वहीन हो जाते हैं, "कठोर एससीएनएसयू" होना चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों में खारिज कर दिया जाता है। उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का अनुपात "म्यूटैटिस म्यूटंडिस" वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का पूरा जवाब है।

(40) विचार करने योग्य कोई अन्य कानूनी बिंदु, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

(41) उपरोक्त कारणों के आलोक में, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-1), सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-2) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी आगामी कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। तदनुसार, मामले की प्राप्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को संकेतित आपराधिक शिकायत से मुक्त किया जाता है।

5. संधू

(16) एआईआर 1992 एससी 604

(17) 2008 (2) आरसीआर (सीआरएल.) 92

**<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**दीपाली सिंगला**

**प्रशिक्षु न्यायिक**

**अधिकारी**

**(Trainee Judicial**

**Officer)**

**फ़रीदाबाद, हरियाणा**